

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on page No. 3944

Dated : 12-10-96

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

सूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1996

सं. सं. 2899.—केन्द्रीय सरकार, भवन और  
अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996  
(1996 का 28) की धारा 3 की उपधारा (1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार  
के श्रम मंत्रालय की सूचना सं. सं. 1767  
तारीख 17 मई, 1996 को अधिस्तुत करते हुए  
भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा  
के विनियमन) अधिनियम, 1996 (1966 का 27)  
के प्रयोजनों के लिए किसी नियोजक द्वारा उपगत संनिर्माण  
की लागत के 1 प्रतिशत की दर से उपकर विनिर्दिष्ट करती  
है।

[सं. सं. एस-61011/9/95-श्रम. इत्यु. (भाग)]

डी. के. त्रेहन, श्रम और नियोजन सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1996

S.O. 2899.—In exercise of powers conferred by  
sub-section (1) of section 3 of the Building and  
Other Construction Workers' Welfare Cess Act,  
1996 (28 of 1996) and in supersession of the noti-  
fication of the Government of India in the Ministry  
of Labour No. S. O. 1767 dated the 17th May,  
1996, the Central Government specifies a cess for  
the purposes of the Building and Other Construc-  
tion Workers (Regulation of Employment and  
Other Conditions of Service) Act, 1996 (27 of  
1996), at the rate of 1 per cent, of the cost of  
construction incurred by an employer.

[F. No. S-61011/9/95-RW(Part)]

D. K. TREHAN, Labour & Employment Adviser